



मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(मध्यप्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन (सी ब्लॉक-द्वितीय तल) 59-अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

क्रमांक ~~11154~~ NREGS-MP / NR-6 / 09

भोपाल, दिनांक 12 / 8 / 2009

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
जिला - समस्त (म. प्र.)

विषय : सामाजिक अंकेक्षण वीडियोग्राफी बाबत।


संदर्भ : पत्र क्रमांक 8968 / NREGS-MP / NR-6 / 2009 भोपाल, दि. 11 / 07 / 2009

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रानुसार निर्देश दिये गये थे कि ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां पर माह जनवरी से जुलाई 09 तक 10 लाख रुपये से अधिक राशि का व्यय हुआ है सामाजिक अंकेक्षण कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई जाये।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी ग्राम पंचायत की अत्यधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं अथवा अन्य कोई विशेष कारण हो, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वविवेक से उस पंचायत की ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की अनुमति दे सकते हैं।

संलग्न : उपरोक्तानुसार



(रश्मि अरुण शमी)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल, दिनांक 12 / 8 / 2009

पृ. क्र.-11155 / NREGS-MP / NR-6 / 09

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (समस्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद